

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय—सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।
खानपुर थाना काण्ड सं० 245/20, कम्प्यूटर निबंधन सं० 1398/20

3.2.21

आवेदक 1. ब्रह्मदेव सहनी, जो खानपुर थाना काण्ड सं० 245/20, धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत दिनांक 25.12.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनी रंजन के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब एवं मोटरसाईकल से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्हें मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फँसा दिया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती हैं। वह दिनांक 25.12.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि० लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त को मोटरसाईकल पर 12.00 लीटर देशी महुआ शराब एवं 180 एम०एल० के 02 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दि० 25.12.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त 1. ब्रह्मदेव सहनी को मो० 10,000/-रु०(दस हजार)रु० के बंद-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या०2
सह वि० न्या०उत्पाद